।। कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग (छ0ग0) ।।

//ज्ञापन//

क्रमांक/429/अपर कले./स्टेनो/2020 दुर्ग, दिनांक 22/04/2020

प्रति,

सर्व कार्यालय प्रमुख
जिला – दुर्ग (छ0ग0)

विषय :– नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भ :– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र कमांक 191/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 22/04/2020 एवं पत्र कमांक 195/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 20/04/2020

---00---

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र अंतर्गत शासन के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर,
दुर्ग

पृ0क्रमांक/430/अपर कले./स्टेनो/2020 दुर्ग, दिनांक 22/04/2020

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर,
दुर्ग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 195/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/04/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. समस्त कलेक्टर,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,

विषयः— नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भः— सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांकः 189/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16/04/2020, एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 एवं दिनांक 19/04/2020

—00—

संदर्भित आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत् अधिकृत किया गया एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा—निर्देश दिये गये। इस संबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते है।

2/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 19/04/2020 के माध्यम से पूर्व में अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल पैरा 14 (v) *ई—कामर्स कंपनियां, ई—कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति* को विलोपित किया गया है।

3/ अतः अब ई—कामर्स कंपनियों को निर्देशों के पैरा 13 (i) अनुसार केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

4/ **स्पष्टीकरण** — कई स्थानों से दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की दुकानों के खुलने के संबंध में भ्रांति होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 के पैरा 6 D (i) में *दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन* के संचालन संबंधी अनुमति का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार निर्देशों के पैरा 13 (ii) में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दुकानों के संचालन हेतु अनुमति है। अतः इस संबंध में खाद्य पदार्थों, दूध एवं दूध उत्पादों जैसे— खोया, पनीर, दही इत्यादि की बिक्री हेतु दुकानों को संचालन की अनुमति पूर्व से प्राप्त है।

5/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के पैरा 14 (x) में स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, बढ़ई को कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। इन व्यक्तियों द्वारा उनसे संबंधित उपकरणों जैसे— मोटर, पंखा, कुलर इत्यादि के बिजली के सामान एवं अन्य सुसंगत सामग्रियों के मरम्मत कार्य इत्यादि हेतु सेवाएं दी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संशोधित निर्देश अनुसार प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष निर्देश यथावत लागू रहेगें।

7/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांकः 196 /स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/04/2020

प्रतिलिपिः—

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 191/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/04/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. समस्त कलेक्टर,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भः– 1. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांकः 189/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16/04/2020, एवं क्रमांकः 195/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 20/04/2020
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 15/04/2020, दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020
3. गृह सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 21/04/2020

—00—

संदर्भित आदेशों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत् अधिकृत किया गया एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 21/04/2020 द्वारा कुछ अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है जिसके परिपेक्ष्य में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं।

2/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत पैरा 6 A अंतर्गत कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी :–

ix. आयात/निर्यात हेतु पैकहाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं

x. कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान

xi. मधुमक्खी पालन के प्लान्टिंग मटेरियल, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर परिवहन

3/ वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन के संबंध में पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत पैरा 14 A निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी

xi. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें

xii. बिजली के पंखे की दुकानें

4/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अंतर्गत व्यक्तियों के आवागमन के बारे में पैरा 17 iii में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों में पैरा 19 v में वन कार्यालयों अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

6/ **स्पष्टीकरण** – गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र कमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 21/04/2020 द्वारा पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अंतर्गत कई गतिविधियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :–

i. सामाजिक क्षेत्र के पैरा 8 i में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर सम्मिलित है।

ii. पब्लिक यूटिलिटी के पैरा 11 v में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल हैं।

iii. आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में पैरा 13 i में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फेक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है।

7/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संशोधित निर्देशों अनुसार प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष निर्देश यथावत लागू रहेगें।

8/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रमावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

22/4/20

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांकः 192/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner